

## न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं-05

प्रवेश दिनांक 25.05.2021

निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपनाम


1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

- 1.कलावती पुत्री श्योनाथ जाति मीना साा0 देह खातेदार
- 2.गीता पत्नी स्व घासीराम जाति मीना
- 3.घनश्याम पुत्र श्योनाथ जाति मीना
- 4.जड़ाव पुत्री श्योनाथ जाति मीना
- 5.धौली पुत्र घासीराम जाति मीना
- 6.बलवीर पुत्र श्योनाथ जाति मीना
- 7.मांगी देवी पत्नी स्व मक्खन जाति मीना
- 8.रूघनाथ पुत्र प्रताप जाति मीना
- 9.रोशन पुत्र घासीराम जाति मीना
- 10.विजेंद्र पुत्र मक्खन जाति मीना
- 11.विजय पुत्र मक्खन जाति मीना
- 12.सीमा पुत्री घासीराम जाति मीना
- 13.सोहनलाल पुत्र घासीराम जाति मीना
- 14.हजारी पुत्र श्योनाथ जाति मीना

निवासीयान ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर।

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावड़ा द्वारा ग्राम ढिगावड़ा के आराजी ख0 नं0 1168/0.19 है0 में से रकबा 0.15 है0 किस्म चाही उत्तम एवं रकबा 0.04 है0 किस्म जाव उत्तम, ख0न0 1172/0.29 रकबा 0.06 है0 किस्म जाव उत्तम एवं रकबा 0.23 है0 किस्म चाही उत्तम तथा ख0न0 1173/0.51 किस्म चाही उत्तम खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान कलावती पुत्री श्योनाथ जाति मीना साा0 देह खातेदार गीता पत्नी स्व घासीराम जाति मीना घनश्याम पुत्र श्योनाथ जाति मीना जड़ाव पुत्री श्योनाथ जाति मीना धौली पुत्र घासीराम जाति मीना बलवीर पुत्र श्योनाथ जाति मीना मांगी देवी पत्नी स्व मक्खन जाति मीना रूघनाथ पुत्र प्रताप जाति मीना रोशन पुत्र घासीराम जाति मीना विजेंद्र पुत्र मक्खन जाति मीना विजय पुत्र मक्खन जाति मीना सीमा पुत्री घासीराम जाति मीना सोहनलाल पुत्र घासीराम जाति मीना हजारी पुत्र श्योनाथ जाति मीना निवासीयान ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0न0 1168/0.19 में से रकबा 0.08 हैक्ट0, 1172/0.29 में से




तहसीलदार  
राजगढ (अलवर)

PTO ---

रकबा 0.03 हैक्ट0 एवं 1173/0.51 में से 0.03 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ क्रमशः होटल, होटल एव दुकान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः कलावती पुत्री श्योनाथ जाति मीना सा0 देह खातेदार गीता पत्नी स्व घासीराम जाति मीना घनश्याम पुत्र श्योनाथ जाति मीना जड़ाव पुत्री श्योनाथ जाति मीना धौली पुत्र घासीराम जाति मीना बलवीर पुत्र श्योनाथ जाति मीना मांगी देवी पत्नी स्व मक्खन जाति मीना रुघनाथ पुत्र प्रताप जाति मीना रोशन पुत्र घासीराम जाति मीना विजेंद्र पुत्र मक्खन जाति मीना विजय पुत्र मक्खन जाति मीना सीमा पुत्री घासीराम जाति मीना सोहनलाल पुत्र घासीराम जाति मीना हजारिं पुत्र श्योनाथ जाति मीना निवासीयान ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0न0 1168/0.19 में से रकबा 0.08 हैक्ट0, 1172/0.29 में से रकबा 0.03 हैक्ट0 एवं 1173/0.51 में से 0.01 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ क्रमशः होटल, होटल एव दुकान निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 2.80 रूपये का पचास गुणा राशि 210.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



रा. ले. सा. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 18 पर दिनांक 210/-  
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

(बाबूलाल मीना)  
तहसीलदार राजगढ़  
राजगढ़ (अलवर)

अक्षर	वर्ण	पंक्ति
अक्षर	वर्ण	पंक्ति
अक्षर	वर्ण	पंक्ति